संख्या-7/2026/आई/1385443/2026-10-19099/39/2025

प्रेषक,

दीपक कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष / प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 **लखनऊः दिनांक 07 जुलाई, 2026**

विषयः एन०पी०एस० से पुरानी पेंशन योजना में स्थानान्तरित कार्मिकों के सामान्य भविष्य निधि खातों को अद्यावधिक किया जाना।

महोदय,

कृपया शासनादेश संख्या-38/2024/सा-3-505/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 19.11.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा यह निर्देश निर्गत किये गये थे, कि ऐसे कार्मिक जिन्हें राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से पुरानी पेंशन योजना में स्थानान्तरित किये जाने की अनुमति सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी जाती है, उनके सामान्य भविष्य निधि खाते में अन्तरित कर्मचारी अंशदान की धनराशि पर संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा समय-समय पर प्रचलित दरों पर ब्याज का आगणन कर जी०पी०एफ० पासबुक अद्यावधिक की जायेगी तथा जी०पी०एफ० पासबुक की प्रमाणित प्रति एवं निदेशक, पेंशन द्वारा जमा करायी गयी धनराशि का अभिलेखीय विवरण महालेखाकार, उत्तर प्रदेश को प्रेषित किया जायेगा ताकि महालेखाकार द्वारा सामान्य भविष्य निधि खाते को अद्यावधिक किया जा सके।

2- महालेखाकार, उ०प्र० के अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या-निधि-1/T&NT/58049 दिनांक 19.01.2026 द्वारा उपरोक्त कार्य में अन्तर्निहित कठिनाईओं का उल्लेख करते हुए यह सुझाव दिया गया है कि कर्मचारी अंशदान सामान्य भविष्य निधि खाते में अन्तरित होने की तिथि तक के ब्याज का आगणन राज्य सरकार के संबंधित प्राधिकारियों द्वारा किया जाये।

3- तदनुसार, प्रकरण में सम्यक विचारोपरान्त, शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे प्रकरणों में संबंधित कर्मचारी के सामान्य भविष्य निधि खाते में कर्मचारी अंशदान स्थानान्तरित किये जाने की तिथि तक के व्याज का आगणन निम्नानुसार किया जायेगा:-

(i) जी०पी०एफ० अभिदानों पर ब्याज आगणन हेतु सॉफ्टवेयर डी०डी०ओ० पोर्टल पर निदेशक, कोषागार, उ०प्र० द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

(ii) सेंट्रल रिकार्ड कीपिंग एजेन्सी (सी०आर०ए०) M/S Protean eGov Technologies Ltd. (निवर्तमान NSDL) द्वारा NPSCAN डैशबोर्ड पर डी०डी०ओ० लॉगिन पर अपलोड की गयी "NPS Transaction Statement for Tier-I Account" की "CSV File" आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा डाउनलोड की जायेगी।

(iii) उक्त सॉफ्टवेयर में "CSV File" को सीधे अपलोड करने अथवा माहवार प्रविष्टि मैनुअली किये जाने का विकल्प उपलब्ध होगा। श्रेयस्कर यही होगा कि डाउनलोड की गयी "CSV File" सॉफ्टवेयर में सीधे अपलोड की जाये। आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा इस संबंध में सावधानी रखी जायेगी कि सॉफ्टवेयर में प्रविष्टि किये जाने वाले मूलधन की धनराशि पेंशन निदेशालय द्वारा अभिदाता अंशदान जी०पी०एफ० खाते में अन्तरित किये जाने संबंधी उपलब्ध कराये गये चालान के अनुसार हो।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

(iv) सॉफ्टवेयर द्वारा जनित ब्याज आगणन शीट डाउनलोड कर अभिदाता तथा आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षर किया जायेगा।

(v) उक्त आगणन शीट के आधार पर अभिदाता के जी०पी०एफ० खाते में ब्याज की धनराशि अन्तरित किये जाने हेतु कार्यालयाध्यक्ष द्वारा स्वीकृति आदेश निर्गत किया जायेगा। जिसके आधार पर डी०डी०ओ० द्वारा जी०पी०एफ० खाते में "Whole Transfer" का बिल तैयार कर कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा।

(vi) संबंधित कार्यालय में अनुरक्षित कर्मचारी की जी०पी०एफ० पासबुक में मूलधन तथा ब्याज की एकमुश्त प्रविष्टि की जायेगी। मूलधन तथा व्याज की धनराशि उस तिथि को जी०पी०एफ० खाते में अन्तरित की जायेगी जिस तिथि को मूलधन (कर्मचारी अंशदान की कुल एकमुश्त धनराशि) अन्तरित हुई हो परन्तु प्रत्येक माह व्याज का आगणन "CSV File" में अंकित कर्मचारी अंशदान प्राप्त होने की तिथि से किया जायेगा।

(vii) आगणन शीट की प्रतिलिपि कार्यालय के अभिलेखों में अग्रतर संदर्भ एवं ऑडिट के प्रयोजनार्थ सुरक्षित रखी जायेगी।

(viii) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश कार्यालय द्वारा इसके आगे की अवधि के संबंध में प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(ix) ब्याज पर होने वाला व्यय अनुदान संख्या-61 वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत लेखाशीर्ष "2049-ब्याज अदायगियां-03-अल्प बचतों, भविष्य निधियों आदि पर ब्याज-104-राज्य भविष्य निधियों पर ब्याज" के अधीन सुसंगत उपशीर्ष/विस्तृत शीर्ष की मानक मद "32-ब्याज/लाभांश" (भारित) के नामे डाला जायेगा तथा लोक लेखा के लेखाशीर्ष "8009-राज्य भविष्य निधि-01-सिविल" के अंतर्गत सुसंगत लघुशीर्ष/विस्तृत शीर्ष के प्राप्तिपक्ष में जमा दिखाया जायेगा।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,
दीपक कुमार
अपर मुख्य सचिव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उ०प्र०, प्रयागराज।
2. निदेशक, कोषागार, उ०प्र०, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. निदेशक, पेंशन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, सेक्टर-24/3 (IFMTR Campus), इंदिरा नगर, लखनऊ।
4. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।